

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।



क्रमांक:- एफ 1(2)गावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019

जयपुर, दिनांक :

3 JUN 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन बाबत।
प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.06.2015 एवं 17.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन बाबत निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशानुसार मेट के चयन के संबंध में निम्न प्राथमिकता होगी -

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों के सदस्य।
2. विधवा परित्यक्ता अथवा एकल महिला, विकलांग।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य।
4. पिछड़ा वर्ग के सदस्य।
5. सामान्य वर्ग।

उक्त सभी श्रेणियों में उपलब्धता के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जावे। यदि इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं हो, तो अन्य श्रेणी से 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण किया जावे।

कार्यों की निगरानी हेतु निम्न परिमाण के अनुसार मेट का नियोजन किया जावे:-

क.सं.	श्रमिक संख्या	मेट संख्या
1	10 से 50	एक
2	50 से अधिक	प्रति 10 से 50 पर एक अतिरिक्त

योजनान्तर्गत मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर तैयार किये गये पैनल में से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावे। मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता तब तक किसी मेट को पुनः कार्य पर नियोजित नहीं किया जावे। पुरुष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा पखवाडा पूर्ण होने पर उपलब्ध पैनल अनुसार किया जावे। महिला मेटों के संबंध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को 100 दिवस से अधिक भी नियोजित रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरुष मेट को यथा संभव नियोजित नहीं किया जावे। नियोजित मेट के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने या कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारण, कार्यक्रम अधिकारी बिना किसी नोटिस के मेट को हटाकर ब्लैकलिस्ट कर सकेंगे तथा ऐसे मेटों का पुनः नियोजन अगले एक वर्ष के लिए नहीं किया जायेगा।

किसी भी कार्य पर मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, गावि एवं पंचायती, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गावि एवं पंचायती, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर।
9. सहायक निदेशक (आईईसी), महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय।
10. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
11. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस